उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग

संख्या 186 XXIII/2011/02/2011
देहरादून 15 मार्च, 2011

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

यह नियम दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक प्रभावी रहेंगे।

1. **मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :-**

दुकानवार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के कुल राजस्व (न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा लाईसेंस फीस की राशि का योग) का निर्धारण वर्ष 2010-11 का कुल राजस्व तथा फरवरी तक 20% उठान के न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) तथा अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोड़कर दुकानवार कुल बेस राजस्व को दुकान हेतु वर्ष 2010-11 की लाटरी में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर इस प्रतिबंध कि बेस राजस्व से कम निर्धारण नहीं किया जायेगा, के अधीन निम्नलिखित सूत्र द्वारा आगणित भिन्नांक से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा:-

$$0.917 + \frac{1.834 \times \sqrt{\text{Number of applications}}}{100}$$

2. **मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-**

वर्ष 2011-12 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू0 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2011 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

3. **मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस :-**

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाईसेंस फीस देय होगी :-

देशी मदिरा ....रू0 15/- प्रति बल्क लीटर ।

विदेशी मदिरा...रू0 24/- प्रति बोतल।

4. **मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण:-**

उपरोक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायगा। निकासी हेतु वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

5. **मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) से 20 % अतिरिक्त उठान :-**

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के 20% (बीस प्रतिशत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा,

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर -3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

6. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-**

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। आवंटन की समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 13,400/- की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बंधित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य में एक आवेदक को एक से अधिक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित नहीं की जायेंगी। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये जिले के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरांत भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2011-12 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके

व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

7. मदिरा दुकानों की ब्रिक्री की समय अवधि:-

राज्य में दुकानों के खुलने का समय 11:00 बजे प्रात: से रात्रि 09:00 तक रहेगा।

परन्तु जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें जो दूसरे राज्यों की सीमा से दस किलोमीटर के अन्दर अवस्थित हो, के बंद होने का समय रात्रि 10:00 बजे रखा जायेगा।

8. विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याज:-

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

9. अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन:-

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अंतिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

10. विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था

प्रत्येक ज़िले में अधिकतम राजस्व वाली विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ0एल0-5 डी लाईसेंसी द्वारा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु एफ0एल0-5ई लाईसेंस लेना होगा। एफ0एल0-5ई की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 2 (दो) प्रतिशत के बराबर होगी।

11. मदिरा के अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बंध में:-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तांतरण पूर्व अनुज्ञापी द्वारा नये अनुज्ञापी को पूर्व वर्ष की एफ0एल0-2/ सी0एल-2 दरों पर किया जायेगा। नया अनुज्ञापी इस मदिरा की बिक्री एक माह के भीतर गत वर्ष की एम0आर0पी0 पर सुनिश्चित करेगा। ऐसे स्टाक को दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) के विपरीत समायोजित नहीं किया जायेगा किंतु यदि यह स्टाक किसी कारणवश एक माह के उपरांत भी अविक्रित बच जाता है, तो इस स्टाक पर चलित वर्ष की दरों पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) एवं निर्धारण फीस (एसेस्मेंट फीस) देय होगी।

12. गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों में विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन:-

गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली) में विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन गत वर्ष की भांति किया जायेगा।

13. जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकाने:-

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेगें;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की

पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) शासनादेश संख्या 311/XXIII/2008/18/2008 दिनांक 16-06-2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

14. किसी मदिरा दुकान को बंद/ स्थानान्तरित करना:-

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बंध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बंधित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बंध में भी जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व सहमति से निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित ज़ोन नही होने दिया जायेगा।

15. पात्रता:-

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बंध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बंधित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी;

परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अंतरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की तिथि से अद्यतन) प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तांतरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारन्टी स्वीकार की जा सकेगी। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिग प्राधिकारी के नाम बंधक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे। आवेदक का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य होगा, अत: दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को आवेदन पत्र मे अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम दुकान लॉटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझीदार को सम्मिलित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

16. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर:-

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर रू0 65/- प्रति अल्कोहलिक लीटर के आधार पर देय होगा।

(दो) 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 15/- प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर रू0 30/- प्रति बल्क लीटर रहेगी।

17. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत डयूटी की गणना:-

(एक) देशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 115/- प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल)
(1)	रू0 25.00 तक	रू0 86.00
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	रू0 94.00
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	रू0 108.00
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	रू0 123.00
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	रू0 159.00
(6)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	रू0 173.00
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	रू0 217.00
(8)	रू0 450.01 से अधिक	रू0 290.00

(तीन) अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- की सीमांतर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी।

18. सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन शुल्क, इयूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें:-

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 10,000/- लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साईज इयूटी की दर निम्न प्रकार होगी:-

(अ)	भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर)	रू0 65.00 प्रति ए0एल0
(ब)	रियायती रम	रू0 50.00 प्रति ए0एल0
(स)	बियर-एफ0एल0-9 के अन्तर्गत एफ0एल0-5 के समान अभिकर की दर पर देय होगी।	

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	**मदिरा का प्रकार**	**असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)**
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	रू0 45.00
(2)	रियायती रम	रू0 30.00
(3)	बियर	रू0 05.00

19. आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ब्राण्डी/बियर आदि) की सुविधा:-

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को एफ0एल0-9ए अनुज्ञापन के अतिरिक्त एफ0एल0-9बी लाईसेंस के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा विदेश निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति एफ0एल0-2 पी0एम0 अनुज्ञापन से सिविल की भांति देयों के साथ अनुमन्य होगी।

20. मदिरा का विक्रय मूल्य:-

वित्तीय वर्ष 2010-11 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, के केवल वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनके ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवा समान होगी की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। समतुल्य ब्रांड का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरांत किया जाएगा।

उपरोक्त के होते हुए भी अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे है वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेगें। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बंधी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गई है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर रू0 1,00,000 (एक लाख रूपये मात्र) पेनाल्टी आरोपित किये जाने के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

21. देशी मदिरा/विदेशी मदिरा का आयात:-

देशी मदिरा एवं सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी।

22. विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0-2/ 2बी/ 2एस/ 2डब्लू) अनुज्ञापन:-

(1) वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु एफ0एल0-2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगें।

(2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अथवा जिन्हे विदेश में निर्मित/बाटल्ड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने की विधिक अधिकार (Legal rights) प्राप्त है इन्हें ऐसे ब्राण्डस के निर्माता माना जायेगा तदनुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

(3) वर्ष 2011-12 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0-2 के लिए रू0 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार) एवं एफ0एल0-2बी0/ 2एस/ 2डब्लू0 के लिए रू0 1,25,000/- (रू0 एक लाख पच्चीस हजार) रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि 2000 (दो हजार) पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार मात्र) देय होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त एफ0एल0-2/ 2बी0/ 2डब्लू0 की लाईसेंस फीस की प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी:-

(क) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एफ0एल0-2/ 2बी0/ 2एस/ 2डब्लू0 हेतु लाईसेंस फीस विदेशी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स-कस्टम-बाण्ड मूल्य मानी जायेगी।

23. जिलों में खोले गये एफ0एल0-2 को न चलाया जाना:-

यदि किसी लाईसेंसी द्वारा किसी जिले में खोले गये एफ0एल0-2 को नहीं चलाया जाना है, तो उसे एक माह के भीतर उस एफ0एल0-2 गोदाम में रखी गई मदिरा की नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करनी होगी अथवा आयुक्त की अनुमति से अन्य एफ0एल0-2 को स्थानांतरित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है और एफ0एल0-2 से बिक्री का कार्य एक माह या उससे अधिक समय तक बन्द रहता है तो उसकी एफ0एल0-2 की प्रतिभूति एवं रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा गोदाम में रखे स्टाक का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

24. **विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-**

क्र0सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0-2/2बी0 स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेंट फीस (रूपयों में)
(1)	रू0 25.00 तक	94
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	135
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	147
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	164
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	176
(6)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	187
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	211
(8)	रू0 450.00 से ऊपर	234
(9)	<u>बियर</u> (एक) बियर 650 एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल के 24 पैक की पेटी	72
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	108
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	72
(10)	वाईन 750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	72
(11)	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल बेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	72

उपरोक्त तालिका में जहां अन्य उल्लेख न हो, पेटी से आशय 750 एम0एल0 की 12 बोतलों अथवा 375 एम0एल0 के 24 अद्धों अथवा 180 एम0एल0 के 48 पव्वों से होगा।

(दो) अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- की सीमांतर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एसेसमेंट शुल्क की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी।

(तीन) जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरांत निकासी की अनुमति देंगे।

25. राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री:-

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0-2/ 2बी/ 2एस/ 2डब्लू लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार होगी:-

(1)	बी0डब्लू0एफ0एल0-2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
	(1) 25,000 पेटियों तक	रू0 2,41,500/-
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	रू0 4,83,000/-
	(3) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 6,90,000/-
	(4) 1,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 9,66,000/-
(2)	बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
	(1) 50,000 पेटियों तक	रू0 2,48,000/-
	(2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 3,45,000/-
	(3) 1,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 4,14,000/-
(3)	बी0डब्लू0एफ0एल0-2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
	(1) 100 पेटियों की बिक्री तक	रू013,000/- (तेरह हजार मात्र)
	(2) 100 पेटी से ऊपर।	रू0 6,500/- (रु0 छ: हजार पांच सौ) प्रत्येक 50 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
(4)	बी0डब्लू0एफ0एल0-2 डब्लू बान्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रू0 10,000/- (दस हजार मात्र)
(5)	एफ0एल0-1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादकों को थोक में एफ0एल0-2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 25000 पेटियों तक	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रू0 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
	(2) 25000 पेटियों से अधिक	रू0 2,00,000/- (दो लाख मात्र)

26. लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:-

(एक) विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व धारितावार प्रति लेबिल प्रति वर्ष रू0 9,500/- (रु0 नौ हजार पाँच सौ) लेबल रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/ वाईन/ साईडर/ कम तीव्रता की अल्कोहोलिक बेवरेज:-

के लेबिलों के अनुमोदन के लिए धारितावार प्रति लेबिल प्रति वर्ष रू0 4,750/- (रु0 चार हजार सात सौ पचास) लेबल रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होंगी।

27. होटलों बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-

होटल बार लाईसेंस एफ0एल0-6 (समिश्र) की लाईसेंस फीस, होटल के वार्षिक टर्न ओवर (वर्ष 2010-11) के आधार पर वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

(1)	रू0 2.00 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले होटल	4.50 लाख रूपये
(2)	रू0 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	5.00 लाख रूपये
(3)	रू0 5.00 करोड़ से अधिक 10.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	10.00 लाख रूपये
(4)	रू0 10.00 करोड़ से अधिक 20.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	15.00 लाख रूपये
(5)	रू0 20.00 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले होटल	25.00 लाख रूपये

28. रेस्त्राबार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	**बार का प्रकार**	**लाईसेंस फीस (रूपये में)**
(1)	रेस्टोरेन्ट बार	रू0 4.50 लाख
(2)	**बियर बार**	
	(1) रेगुलर बियर बार	रू0 30,000 (रू0 तीस हजार)
	(2) सीजनल बियर बार	रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार)
(3)	**क्लब बार**	
	(1) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए)	रू0 1.20 लाख
	(2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए)	रू0 1.80 लाख
	(3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	रू0 2.40 लाख
(4)	**अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)**	रू0 2000.00 (रू0 दो हजार)

गैर-होटल बार लाईसेंस धारी प्राईवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु इन्हें सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 25000/- (पच्चीस हज़ार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राफ्ट बियर की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में पूर्ववत्त दी जा सकेगी।

29. बार एवं क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत निकासी पर देय इयूटी :-

एफ0एल0-2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर इयूटी की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर प्रति बोतल निम्नानुसार होगी:-

(1)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 138/-
(2)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 165/-
(3)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 193/-
(4)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 220 /-
(5)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 275 /-
(6)	रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 385/-
(7)	बियर एवं वाईन की बोतलों पर	शून्य
(8)	बियर 330 एम0एल0 एवं 325 एम0एल0 के पैक , ओवरसीज लिकर के 60 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक (केवल 5 करोड से अधिक टर्न ओवर वाले होटल बारों हेतु)	रू0 10/- प्रति पैक (Pack)

निकटतम सम्बद्व एफ0एल0-5डी दुकानों से निम्नवत् श्रेणियों की मदिरा भी नियमानुसार परमिट फीस के आधार पर अनुमन्य होगी:-

(1)	बियर 325, 330 एवं 500 एम0एल0 पैक, कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के 275एम0एल0 के पैक	रू0 1/- प्रति पैक (Pack)

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बंधित अन्य व्यवस्थाएँ एवं शर्तें पूर्ववत्त रहेंगी।

30. होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिए आवेदकों की अर्हता:-

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

होटलों के लिए प्रथम वर्ष में उक्त शर्त में छूट होगी।

किसी भी होटल/रेस्त्रां बार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

31. गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों में बारों का संचालन:-

गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली) में बार /बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैय्या) वाले होटल/रिसोर्टस, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

32. बियर एवं वाईन बार लाईसेंस:-

उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 30,000/- (तीस हज़ार रूपयें) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेंस स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी

लाईसेंस दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर एव वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

33. आसवनियों, बाटलिंग प्लांट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना:-

आसवनियों, बाटलिंग प्लांट, ब्रुवरी विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बंध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी :-

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लांट लगाने के लिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

34. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0-3ए एवं एफ0एल0एम0-3 हेतु बाटलिंग फीस:-

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0-3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0-3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गई विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमश: रू0 3.80, रू0 1.90, रू0 0.95 बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी।

35. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:-

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक: रू0 10,000.00 (रू0 दस हज़ार)

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 20,000.00 (रू0 बीस हज़ार)

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 2.00 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

36. एफ0एल0एम0- 3 की लाईसेंस शुल्क दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र0सं0	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1	पांच लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार मात्र)।
2	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 7,10,000/- (सात लाख दस हजार मात्र)।
3	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 10,60,000/- (दस लाख साठ हजार मात्र)।
4	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 21,10,000/- (इक्कीस लाख दस हजार मात्र) ।
5	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 31,80,000/- (इकतीस लाख असी हजार मात्र)।

6	पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 48,10,000/- (अड़तालीस लाख दस हजार मात्र)।
7	पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 63,30,000/- (त्रेसठ लाख तीस हजार मात्र)।
8	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड़ पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 79,10,000/- (उन्नासी लाख दस हजार मात्र)।
9	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 94,90,000/- (चौरानवे लाख नये हजार मात्र)।

37. **विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बॉटलिंग फीस:-**

एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के अधीन बॉटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी:-

क्र0सं0	**बोतल का प्रकार**	**राज्य में बिक्री हेतु**	**राज्य के बाहर बिक्री हेतु**
1	1000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
2	750 मि0ली0 बोतल	2.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
3	500 मि0ली0 पैक	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति पैक
4	375 मि0ली0 अद्धा	1.40 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
5	180 मि0ली0 पौव्वा	0.90 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
6	90 मि0ली0 पैक	0.42 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

38. **एफ0एल0-3ए व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत देय बॉटलिंग फीस:-**

एफ0एल0-3ए के अन्तर्गत बॉटलिंग व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0-3बी में बॉटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के अधीन विदेशी मदिरा पर बॉटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र0सं0	**बोतल का प्रकार**	**राज्य में बिक्री हेतु**	**राज्य के बाहर बिक्री हेतु**
1	1000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
2	750 मि0ली0 बोतल	3.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
3	500 मि0ली0 पैक	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति पैक
4	375 मि0ली0 अद्धा	1.90 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
5	180 मि0ली0 पौव्वा	0.95 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
6	90 मि0ली0 पैक	0.47 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

39. **एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर पर देय बॉटलिंग फीस:-**

एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के अधीन बियर पर बॉटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0-3 हेतु बॉटलिंग फीस	एफ0एल0-3ए हेतु बॉटलिंग फीस	
			बॉटलिंग फीस	लाइसेंस फीस
1	650 मि0ली0 बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल
2	325/ 330 मि0ली0 के पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.15 प्रति पैक

40. **बियर के निर्यात पर बॉटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-**

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0-3 हेतु बॉटलिंग फीस	एफ0एल0-3ए हेतु	
			बॉटलिंग फीस	लाइसेंस फीस
1	650 मि0ली0 बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.24 प्रति बोतल
2	325/ 330 मि0ली0 के पैक	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.14 प्रति पैक

41. **देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल का लगाया जाना:-**

देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलाग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

42. **राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था:-**

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0-2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (Bonded warehouse) प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे। सहकारी क्षेत्र की आसवनी बाजपुर की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर कम से कम 1/3 सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस का पंजीयन कराना होगा। इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है।

आसवनियों के पी0डी0-2 लाईसेंस की फीस रू0 60.00 प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

43. **शीरा, अल्कोहल व मदिरा के नमूनों का परीक्षण:-**

प्रदेश की चीनी मिलों, आसवनियों, फार्मेसियों व मदिरा गोदामों/दुकानों से प्राप्त शीरे, अल्कोहल, पेय-मदिरा व अल्कोहल युक्त औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से नमूनों का विश्लेषण प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं से कराये जाने हेतु प्रयोगशालाएँ अधिसूचित की जायेंगी।

44. **मदिरा तस्करी/अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण:-**

राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध कराई जायेंगी।

45. **कम तीव्रता की एल्कोहल बेवरेज पर निर्यात शुल्क:-**

कम तीव्रता की अल्कोहल बेवरेज पर रू0 0.05 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क देय होगा।

46. **आयात शुल्क की दरें:-**

ई0एन0ए0,रेक्टीफाईड स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट एल्कोहल पर रू0 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर आयात शुल्क देय होगा। बियर पर रु. 2.00 प्रति बोतल लिया जायेगा।

47. **आबकारी आयुक्त के नाम बैंक खाता:-**

राज्य के विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञापियों को विभिन्न ड्यूटीज एवं शुल्कों को ऑनलाईन जमा करने की सुविधा प्रदान करने तथा ऑफलाईन जमा कराई गई ड्यूटीज एवं शुल्कों का ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु आबकारी आयुक्त के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में एक नया खाता खोला जायेगा। बैंक को इस खाते में जमा धनराशि को प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में राज्य के खाते में स्थानान्तरित करने के स्थाई निर्देश दिये जायेंगे।

48. भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

49. अन्य व्यवस्थाऐं वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

डा0 रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या: 186(i) / XXIII/2011/02/2011 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतिया प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड, देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
तिवारी
(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव